HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - हापुड़ देहात **दिनांक 30.08.2025**

"थाना हापुड़ देहात पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा"

- **थाना हापुड़ देहात पुलिस ने थाना क्षेत्रान्तर्गत 03 दिन पूर्व ग्राम ततारपुर के जंगल में मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व ईंट तथा हत्या कराने के लिए दिये गये 52,300/- रुपये नकदी बरामद।**
- **मृतक अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम करना चाहता था जिससे क्षुब्ध होकर मृतक के बेटे विशाल ने गुड्डू को 12 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई थी अपने पिता मनवीर की हत्या।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.08.2025 को थाना हापुड़ देहात क्षेत्रांर्तगत ग्राम ततारपुर के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा शव की शिनाख्त कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी/अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 286/2025 धारा 103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व ईंट तथा हत्या कराने के लिए दिये गये 52,300/- रुपये नकदी बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ सौरभ ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पिता मनवीर सिंह अपनी जमीन को सीतादेई के रहने वाले वैद्य जी के बेटे के नाम करना चाह रहे थे तथा वह मेरी पत्नी पर गलत नजर रखते थे जिस कारण मैंने अपने पिता को मरवाने की ठान ली थी। मैंने अपने पिता को मारने के लिये गांव के ही रहने वाले गुड्डू उर्फ रामगोपाल पुत्र नरेश कुमार से संपर्क किया, जिसने हत्या करवाने के लिए मेरी मुलाकात दिनांक 21.08.2025 को बाबू उर्फ विक्रान्त पुत्र मंजीत सिंह व गगन पुत्र पप्पू उर्फ प्रेम सुन्दर से करायी थी, जिसमें हत्या के लिये 12 लाख रुपये देना तय हुआ था, जिसमें से 1.5 लाख रुपये मैंने

गुड्डू को दिये थे तथा दिनांक 26.08.2025 को प्रातः शौच करते समय मृतक मनवीर सिंह की चाकू से गर्दन काटकर व ईंट से चेहरा कुचलकर खेत में हत्या कर दी थी।

गिरफ्तारी का स्थानः- ततारपुर ट्यूबवैल के पास से, *दिनांक-* 30.08.2025

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. विशाल उर्फ सौरभ पुत्र मनवीर सिंह निवासी ग्राम ततारपुर थाना हापुड देहात जनपद हापुड। (मृतक का पुत्र)
2. गुड्डू उर्फ रामगोपाल पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम ततारपुर थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
3. बाबू उर्फ विक्रान्त पुत्र मंजीत सिंह निवासी ग्राम ततारपुर थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
4. गगन पुत्र पप्पू उर्फ प्रेम सुन्दर निवासी ग्राम पटना मुरादपुर थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व ईंट।
2. हत्या करवाने के लिए दिये गये 52,300/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना अध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
2. व0उ0नि0 श्री परवेज चौधरी थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
4. उ0नि0 श्री मनीष बालियान थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
5. उ0नि0 श्री शरद यादव थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
6. उ0नि0 श्री हेमन्त अत्री थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
7. है0का0 556 सचिन कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
8. का0 16 अरुण कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
9. का0 953 जोरावर सिंह थाना हापुड देहात जनपद हापुड।
10. का0 616 सोनू कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड।